1

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

फोन न0 0291-2541207 E-Mail :- pdatma_jod@rediffmail.com

क्रमांक/आत्मा/जोधपुर/लेखा/निविदा/2017–18/ 178-81 दिनांक 1-6-17

खुली बोली निविदा सूचना संख्या 04/17–18

कृषि आयुक्तालय के पत्रांक क्रमांक 553–758 दिनांक 12.05.17 में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना में आत्मा गतिविधियां के अन्तर्गत भ्रमण, मेले में कृषको लाने–ले जाने हेतु जोधपुर मुख्यालय एवं जिले की प्रत्येक पंचायत समिति स्तर से रवाना होकर कृषको को सम्मिलित करतें हुए भ्रमण पश्चात् पचायत समिति पर कृषको को पहुचाने हेतु (3x2) 52 सीटर सेमी डीलक्स बस किराये पर लेने हेतु वाहन मालिको /ट्रेवल एजेन्सी, वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाली फर्मो से सीलबंद निविदाए आमंत्रित की जाती है । निविदा फार्म कार्यालय दिवस मे कार्यालय समय मे दिनांक 01.06.17 तक प्राप्त की की सकती है तथा भरी हुई निविदाए दिनांक 16.01.17 को 1.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जावेगी। उक्त निविदा को http://sppp.raj.gov.in पोर्टल व कृषि विभागीय साईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है ।

अनुमानित व्यय	4.50 लाख
बयाना राशि /धरोहर राशि	9000 नौ हजार मात्र
निविदा फार्म शुल्क (अप्रतिदेय)	400 चार सौ मात्र

(हरीश मेहरा)
उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

क्रमांक/आत्मा/जोधपुर/लेखा/निविदा/2017–18/ 178-81 दिनांक 1-6-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान सयुक्त निदेशक कृषि खण्ड जोधपुर ।
2. श्रीमान सहायक कम्प्युटर प्रोगामर कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय साईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर उक्त निविदा अपलोड करावे । ।
3. नोटिस बोर्ड कार्यलय हाजा ।
4. लेखा शाखा /भंडार पाल कार्यलय हाजा ।

(हरीश मेहरा)
उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

फोन न0 0291-2541207 E-Mail :- pdatma_jod@rediffmail.com

निविदा फार्म शुल्क – 400

नकद / बैकर चैक / डीडी संख्या . . . .

दिनांक. . . . .

जारी दिनांक . . . .

निविदा प्रारूप

1	कार्यालय का नाम	उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा",जोधपुर
2	निविदा सूचना संख्या	कमांक / आत्मा / जोधपुर / लेखा / निविदा / 2017–18 / दिनांक
3	धरोहर राशि / धरोहर	रू 9000 / – बैकर चैक / डीडी संख्या ....दिनांक... ....
4	सलग्न दस्तावेज	1. पैन कार्ड की फोटो प्रति 2. टीन नं. की फोटो प्रति 3. सेवाकर प्रमाण पत्र की फोटो प्रति 4. कर चुकता प्रमाण पत्र
4	निविदा प्रस्तुत करने वाली का नाम व पूर्ण पता	निविदा दाता / व्यक्ति / फर्म का नाम .... टेलीफोन नं. ....मोबाईल नं............................पैन नं.....................
5	निविदा प्राप्त एव खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 16.06.17 को 1.00 बजे तक प्राप्त एवं 3.00 बजे खोली जायेगी
8	कार्य का विवरण	आत्मा गतिविधियों के अन्तर्गत भ्रमण, मेले में कृषको लाने–ले जाने हेतु जोधपुर मुख्यालय एवं जिले की पंचायत समिति स्तर से रवाना होकर कृषको को सम्मिलित करतें हुए भ्रमण पश्चात् कृषको को पहुचाने हेतु (3x2) 52 सीटर सेमी डीलक्स बस किराये पर लेने हेतु ।
9	प्रस्तावित दर	वाहन (सेमी डीलक्स बस) किराये हेतु प्रस्तावित दरे समस्त करो(वैट,टैक्स,सेवाकर आदि)एवं समस्त व्यय (डीजल ,ऑयल टोल टैक्स आदि) सहित प्रति किमी

(3x2) 52 सीटर सेमी डीलक्स बस	प्रस्तावित दर प्रति किलोमीटर		
	जिले के अन्दर (कर सहित)	राज्य में (कर सहित)	राज्य से बाहर (कर रहित)

मैने / हमने उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई निविदा की समस्त शर्तो को अच्छी तरह से पढ व समझ लिया लिया है तथा मुझे / हमे निविदा की समस्त शर्ते मंजूर है व उनके सभी पृष्ठो पर उल्लेखित शर्तो को मेरे / हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है ।

निविदादाता / बोलीदाता के हस्ताक्षर

(3)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

फोन न0 0291-2541207 E-Mail :- pdatma_jod@rediffmail.com

निविदा की शर्ते

कार्यालय द्वारा वर्ष 2017–2018 मे आत्मा योजनान्तर्गत आयोजित प्रशिक्षणो मे एव अन्तर्राज्जीय /राज्य भ्रमण हेतु किराये पर वाहन बस उपलब्ध कराने हेतु निविदा संख्या 04/2017–18 की शर्ते –

1. इच्छुक निविदादाता द्वारा निविदा मे दिये गये निदेर्शो के अनुसार मुहरबंद लिफाफे मे निविदा प्रस्तत की जावेगी जिस पर जिस पर कृषक भ्रमण हेतु सेमी डिलक्स बस किराये पर उपलब्ध कराने हेतु निविदा लिखकर ही प्रस्तुत करे । निविदा खुली होने पर तथा कांट छाट होने स्वीकार नही की जावेगी ।
2. वाहन की दरे समस्त कर सहित (वाहन का कर, वैट , सेवा कर इत्यादि)एव समस्त व्यय टोल टैक्स डिजल व्यय आदि सहित समलित करते हुए प्रति किमी दर प्रस्तुत करे । सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।
3. निविदा के साथ निर्धारित बयाना/धरोहर राशि 9000/– का बैकर चैक /डीडी तथा आवश्यक दस्तावेज पैन कार्ड फोटो प्रति, टीन नं फोटो प्रति, सेवा कर प्रमाण पत्र फोटो प्रति आदि सलग्न होने पर ही निविदा स्वीकार की जावेगी , किसी भी प्रकार की कमी होने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी ।
4. निविदा स्वीकार होने के पश्चात सात दिवस या जो समय निर्धारित किया जावे के नियमानुसार धरोहर राशि जमा नही कराने एव निर्धारित करार नही करने पर बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी ।
5. इस वर्ष से लागू पंजीयन एव मुद्रांक विभाग द्वारा निर्धारित पंजियन शुल्क जो निविदा की राशि पर देय है का भुगतान निविदादाता को चुकाना होगा ।
6. निविदा स्वीकार होने के पश्चात निर्धारित सात दिवस या जो समय निर्धारित किया जावे के नियमानुसार पांच प्रतिशित की दर से राशि 22500 अक्षरे बाईस हजार पांच सौ जमा करानी होगी जो कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर एव फर्म द्वारा समस्त बकाया कर (वैट एव सेवा कर) आदि जमा के चालान प्रस्तुत करने पर एव कोई राशि बकाया नही होने के पश्चात कार्यालय द्वारा पूर्ण संतुष्ट होने पर लौटाई जावेगी । निविदा स्वीकार होने के पश्चात नियमानुसार (पंजीयन एव मुद्रांक विभाग के आदेश अनुसार 0.25 प्रतिशत) 1125 रूपये के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर करार कर नोटेरी द्वारा नोटरी करवा कर प्रस्तुत करना होगा इसके प्रस्तुत करने के पश्चात ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा । इस पर व्यय समस्त खर्चे का भुगतान निविदादाता का होगा । कार्यालय द्वारा कोई भुगतान नही किया जावेगा ।
7. कार्य आदेश जारी करने के पश्चात निविदादाता द्वारा कार्य नही करने पर जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी ।
8. नियमानुसार देय भुगतान मे से नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी ।
9. आयकर के अलावा देय समस्त कर लागू होने या नही होने की स्थिति मे भुगतान निविदादाता को ही करना होगा । जिसमे देय नियमानुसार वैट का भुगतान एव सेवा कर का भुगतान निविदादाता को ही करना होगा विभाग द्वारा इसका भुगतान नही किया जावेगा ।

10. निविदादाता को भुगतान करने से पूर्व भुगतान पर देय वैट की राशि एव देय सेवा कर की राशि संबंधित विभाग मे जमा करा कर चालान प्रति प्रस्तुत करनी होगी उसके पश्चात ही देय भुगतान निविदादाता को किया जावेगा । आप द्वारा देय वैट राशि एव सेवा कर राशि जमा नही कराने पर एव बकाया राशि होने पर नियमानुसार जमा धरोहर राशि मे से काटी जाकर संबंधित विभाग मे जमा करायी जावेगी । जिसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा ।
11. निविदादाता को निविदा से समस्त पृष्ठो पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा शर्तो एव समझौते पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर आवश्यक है । इसके अभाव मे निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।
12. निविदादाता के भुगतान की कुल राशि मे से नियामानुसार आयकर की कटौती व अन्य आवश्यक करो की कटौती की जावेगी । परिवहन विभाग को टैक्स एव सेवा कर आदि का समस्त भुगतान का दायित्व निविदादाता का होगा, तथा जमा करा कर रसीद/चालान कार्यालय मे प्रस्तत करनी होगी । इस कार्यालय द्वारा अतिरिक्त किसी कर का भुगतान नही किया जावेगा ।
13. वाहन पर होने वाले समस्त व्यय डीजल/ऑयल एव वाहन रिपेयर मरम्मत एव चालक आदि का व्यय निविदादाता का होगा ।
14. निविदा वाहन मालिक ट्रेवल्स एजेन्सी एव किराये पर वाहन उपलब्ध कराने वाली अनुभवी फर्मे के द्वारा ही प्रस्तुत की जावे ।
15. निविदादाता को इस हेतु कोई अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जावेगा ।
16. प्रस्तुत दरे वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए (दिनांक 31.3.2018 तक के लिए ही) मान्य होगी इस अवधि को आपसी सहमति से ही बढाया जा सकेगा ।
17. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकृत/निरस्त करने व निविदा शर्तो मे संशोधन का अधिकार निविदा कय समिति के पास सुरक्षित होगा ।
18. निविदादाता अपनी निविदा/संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को सब लेट नही करेगा ।
19. निविदा मे दर्शाये गये कार्य की मात्रा घटाई/बढाई जा सकती है ।
20. वाहन पांच वर्ष से अधिक पुराना नही हो एव सीटे सही आरामदायक होनी चाहिए ।
21. यात्रा के दौरान वाहन की मरम्मत/नुकसान/चालान आदि होने पर इनका का व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किया जावेगा । यात्रा के दौरान वाहन चालक के खर्चे रात्रि विश्राम व अन्य कर के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा
22. वाहन चालक विनम्र हो एव भ्रमण के दौरान किसी प्रकार के नशीले प्रदार्थ का सेवन नही करेगा ।
23. निविदादाता को जिला मुख्यालय/ पंचायत समति स्तर पर बसे वाहन उपलब्ध कराना होगा। भ्रमण का प्रस्तान एव समाप्ति स्थल पंचायत समिति होगा । जो जिले मे पंचायत समिति स्थित है। भुगतान हेतु किलोमिटर की गणना प्रस्थान स्थान से शुरू होगी तथा पुन आगमन उसी स्थान पर समाप्ति तक किलोमिटर की गणना होगी । तदअनुसार भुगतान किया जावेगा, अन्य स्थान से वाहन रवाना होने या पहुचने की गणना किसी भी स्थिति मे नही होगी ।

24. वाहन का भुगतान संचालित वाहन की लॉग बुक शीट भरकर यात्रा के प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी से प्रमाणित करानी होगी उसके पश्चात ही भुगतान किया जावेगा । बिना प्रमाणित लॉग शिट का भुगतान नही किया जावेगा ।

25. भ्रमण के लिए जिला मुख्यालय/ पंचायत समिति मुख्यालय से रवाना होकर रास्ते आने वाले ग्राम पंचायत स्तर से कृषको को समलित करते हुए प्रस्तान करेगी । पंचायत समिति स्थान से रवाना होते समय जिस प्रकार रास्ते मे ग्राम स्तर से किसानो को समलित किया जावे उसी प्रकार पुन आगमन पर उसी स्थान पर किसानो को उतारा जावे ।

26. प्रस्थान की दिनांक एव समय से आपको अवगत कराया जावेगा इसके संबंध मे अधिक जानकारी यात्रा के दौरान अधिकारी प्रभारी कृषि अधिकारी /सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त की जा सकेगी जिसके नाम एव मोबाईल नम्बर सहित सूचि उपलब्ध कराई जावेगी ।

27. रास्ते मे वाहन खराब हो जाने वाहन चालक द्वारा वाहन आगे नही ले जाने पर प्रभारी अधिकारी द्वारा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने पर उस पर होने वाले वास्तविक समस्त व्यय की वसूली निविदादाता को देय भुगतान मे से कटौती की जावेगी ।

28. जिला स्तर व पंचायत समति मुख्यालय से प्रस्थन एव आगमन तक वाहन के साथ नियुक्त अधिकारी प्रभारी के दिशा निर्देशानुसार कार्य करना होगा , उनके द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना करनी होगी ।

29. किराये पर लिये जाने वाले वाहनो की संख्या मे आवश्यकता के अनुसार मांग मे परिवर्तन किया जा सकता है ।

30. राज्य के भीतर भ्रमण में समस्त कर भुगतान निविदादाता द्वारा एवं राज्यसे बाहर भ्रमण पर कर (बोर्डर टेक्स व टोल टेक्स) इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जायेगा।

31. निविदादाता को कृषक भ्रमण यात्रा के दौरान निम्न मूल दस्तावेज वाहन के साथ मे आवश्यक रूप से रखने होगे ।

    1. वाहन का पंजियन प्रमाण पत्र
    2. वाहन चालक का वैध अनुज्ञापत्र (लाईसेस) ।
    3. वाहन का कर चुकता प्रमाण पत्र ।
    4. वाहन का वैध फिटनेस प्रमाण पत्र ।
    5. वाहन का वैध बीमा संबंधी प्रमाण पत्र।
    6. वाहन का प्रदूषण रहित होने का प्रमाण पत्र ।

32. उपरोक्त के अलावा अन्य शर्ते राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एव लेखा नियम के अनुसार लागू होगी जिसका पालन करना होगा ।

उपरोक्त कम संख्या 1से 31 तक की शर्ते मुझे/हमे स्वीकार है जिसके सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर